

पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर टिब्बी,
जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

नि०न० - 290/2024

अनवान :-

1. सुशील कुमार पुत्र स्व० रघुवीर सिंह जाति जाट निवासी 11 एस. एल. डब्ल्यू. तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ (राज.) ।

वादी

बनाम

1. सुधीर कुमार पुत्र स्व० रघुवीर सिंह जाति जाट निवासी 11 एस. एल. डब्ल्यू. तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ (राज.) ।
2. सावित्री पत्नि स्व० रघुवीर सिंह जाति जाट निवासी 11 एस. एल. डब्ल्यू. तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ (राज.) ।
3. उर्मिला चौधरी पुत्री स्व० रघुवीर सिंह पत्नि प्रमोद कुमार जाति जाट निवासी भाकरोटा शुभविला, नारायण विहार सांगानेर जयपुर तहसील व जिला जयपुर (राज.) ।
4. संतोष पुत्री स्व० रघुवीर सिंह पत्नि रामनाथ जाति जाट निवासी रायपुर जिला सिरसा (हरि.) ।

— प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान
काश्तकारी अधि० 1955

उपस्थिति :- श्री रायसिंह भाखर वादी
श्री अरविन्द नैण प्रतिवादी



डिक्री

दिनांक. 15/11/24


आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री रायसिंह भाखर व वकील प्रतिवादी श्री अरविन्द नैण अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सवूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है (क) वादी सुशील कुमार व प्रतिवादी सं 2 सावित्री को ब०हि०ब० प्राप्त आराजी - चक 12 जी.जी. यकआरे के जमाबन्दी संवत् 2075 ता 2078 के खाता सं. 59/56 में अंकित प.न. 191/ 40 के किला नं. 22 ता 24/.759 है० कमाण्ड 25 /1/.228 है०कमाण्ड. 25/2/.025 है० मु. रास्ता कुल 1.012 है० कमाण्ड मय गै.मुं रास्ता आराजी व चक 1 के.एस.पी.ए. के जमाबन्दी

संवत् 2075 ता 2078 के 190/292 मु.नं. 01 के किला नं. 5 व 6/506 है० कमाण्ड 15/1/183 है० कमाण्ड, स.न. 191/292 मु.नं. 02 के किला नं. 1 ता 4 /1.012 है० कमाण्ड 5 /1/ 228 है० कमाण्ड, 5/2/025 है० गै.मु. रास्ता कुल 1.954 है० कमाण्ड गय गै.मुं रास्ता आराजी ।

(ख) प्रतिवादी सं. 2 सावित्री को प्राप्त आराजी चक 15 एन.जी.सी. के जमावन्दी संवत् 2075 ता 2078 के खाता सं. 47/47 में अंकित प.न. 200/271 मु.नं. 20 के किला नं. 5/1/228 है० नाली, 5/2/025 है गै. मु. रास्ता 6/1/ .228 है० नाली, 6/2/0250 गै. मुं रास्ता, 7 व 8/506 है० नाली कुल 1.012 है० नाली गय गै. मुं रास्ता आराजी उक्त वर्णित आराजी में मृतक रघुवीर सिंह का नाम कलमजन किया जाकर वादी रा० 1 व प्रतिवादी रा० 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि कृषि भूमि हैक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी राक्षम न्यायालय का स्थगन नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 19/11/21..... को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।




(सत्यनारायण
अपखण्ड अधिकारी एवं
सुपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
गढ़न, महायक कलेक्टर
एवं सहायक कलेक्टर
देवोरी
डिस्ट्री)